OPEN ACCESS

AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science
ISSN (P): 2582:8800 | A Peer reviewed| Multidisciplinary | Annually
Volume 01 | Issue 01| March 2020| Page No. 01-12

भारत के मुलनिवासीयों की अपने पहचान के लिऐ माँग

गोंडराजे डॉ. बिरशहा आत्राम
एम.ए, पिएच.डी, डीडी
bintrag@gmail.com

आज 2019 में भारत जहां खुद दुनिया के सामने महाशक्ति बन के आ रहा है, वही दुनिया की नजर भारत में होने वाले बदलाव पर भी टिकी है| जैसे कि ज्ञात है भारत 635 राजाओं की विविधता पूर्ण रियासतों के मिलाप से बना है, यही बात है की इसमें कई विचारों और संस्कृतियों के केंद्र भी है| 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ जाने के बाद, भारत स्वतंत्रता की नवाचेतना लिए दुनिया और आधुनिक देशों से कदम मिलाने लगा! सीखने लगा! आज बहुत बड़ी आबादी भारत में बेरोजगार है, पर भारत बड़ा वैश्विक बाजार है| पर दुनिया में हर जगह भारतीय नौकर पेशा आज हजारों समस्याओं से ग्रसित है और समाज का हर तबका बदलाव कि आशा रखता है|

हम जानते हैं भारत हजारों साल पुराना प्राचीन मोहेनजोदड़ो हड़प्पा की सिंधु संस्कृति वाला देश है| हजारों सालों से यहां लोग रहते आए, फूले फले, बढे और कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का विकास हुआ| 5000 साल पहले आर्यों का आक्रमण इस भूमि पर हुआ, फिर 11 वीं शताब्दी से तुर्क, मुस्लिम, सुल्तान और बादशाहो का दौर इन सभी स्वतंत्र रियासतों पर चला| पर्शिया से लेकर यूरोपिय देशों विशेषता अंग्रेज, डच, फ्रेंच इन सभी व्यापारी समुदायों ने यहां के लोगों पर अपने बाहरी संस्कृतियों की मजबूत छाप छोड़ी और इस भूमि के मूलनिवासियों के अस्तित्व को संपूर्णता खत्म करने का प्रयास किया| आज भारत की भूमि पर मूलनिवासियों का नगण्य अस्तित्व ही दिखता है| वह भी सिर्फ वन बहुल क्षेत्रों में (Dence Forest areas)| करीब-करीब इ.स 158 से इ.स 1947 तक 1800 साल तक कितना महान गोंडवाना साम्राज्य गोंड राजाओं ने धर्म के साथ शासन चलाया और मूल निवासियों के अस्तित्व को राजसी आभा देकर रोशन किया|

आधुनिक युग की शुरुआत होते हुए स्वतंत्र भारत मे राजाओं की आशायें जगी की स्वतंत्रता के लिऐ लढने से बॅरीस्टर गाँधी हमे अपना राज्य वापस देंगे इसीलिऐ राजालोग अंग्रेजों के खिलाफ लढते रहे परंतू

सब किये कराऐ पर बॅ.गाँधीने पानी फेर दिया। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के राज्य छीनने की होड़ सी लग गई | मुस्लिम बहुल प्रांत अलग देश की मांग करने लगा| सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाकी राजाओके राज्य को साम- दाम- दंड- भेद से एक कर नए भारत का निर्माण किया| मगर यह भुला दिया गया कि, यह भूमि या राज्य वहां की जनता ने अपने राजाओं को दी थी| जो अंग्रेजों से उन्हें वापस नहीं मिली| इस प्रकार बने नए भारत में विविध संस्कृतियों का नाश हुआ और विविधता नाम शेष ही रह गई| जैसी की चुनी हुई या उस समय की कांग्रेस सरकार ने 500-600 रियासतों को अभ्यास ना करते हुए जबरदस्ती से एक देश बनाया, जिससे नए भारत का विभाजन हुआ|

भाषावार प्रांत रचना करते समय भारत सरकार ने कुछ चुनी हुई भाषाओं के प्रांत बनाएं मगर 1500-2000 साल के इतिहास वाले गोंडी भाषा बहुल मध्य भारत के गोंडवाना को दोबारा नए भारत का प्रांत बनने नहीं दिया| उसी प्रकार बाहरी भाषा पारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं को देश में मान्यता दी गई| बाहरी सभी धर्मों को भारत में सम्मान मिला पर गोंडी धर्म को नहीं| यहां तक की है इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी संस्कृति, इतिहास और इतने बड़े गोंडवाना साम्राज्य के होते हुए भी मूल निवासियों के अस्तित्व को नकारते हुए गोंड और उसके 47 शाखाओं तथा दूसरे मूलनिवासी लोक समुदायों को tribes या भटकने वाले कह कर संविधान में उनके अस्तित्व को नकारा गया| महान साम्राज्य के राजे-रजवाड़े होते हुए भी भारत के इतिहास में इनका नामोनिशान भी नहीं रखा गया|

आर्यों के आक्रमण के बाद मूलनिवासियों ने भारत के विविध क्षेत्रों में शरण ली| चुंकी हजारों साल पहले भारत के उत्तर से दक्षिण तक वन क्षेत्र ही था| आज से 2000 साल पहले जब मौर्य शासन शुरू हो रहा था तब मूल निवासियों की कुछ लोकसंख्या आर्यों के साथ रह रही थी| या यूं कहे की यह मिश्र आर्यों वाला भूभाग रहा था| मगर आर्यों के प्रभाव में जिंदा रहना भी अपने अस्तित्व का खात्मा करने जैसा ही रहा| इसीलिए मूलनिवासी विशेषता विविध रियासतों के भूमि पर रहने वाले गोंड लोगों ने अपने मूलनिवासी के सभी विविध शाखाओं का एक राज्य बनाने का संकल्प लिया| जिसे राजा यदुराय मडावी ने इ.स 158 में 'गढ़ा कटंगा' से स्थापन किया और नाम रखा गया 'गढा का गोंड राज्य' | गोंड एक समूह ना होकर 47 शाखाओं का प्रचंड लोक समुदाय है| मध्य भारत के इस शुरुआती छोटे राज्य को मौर्य काल से लेके इस्लाम के आने तक कई राजाओं के आक्रमणों से अपना अस्तित्व बचा के रखना था| इ.स 870 में दक्षिण मध्य भारत के शिरपुर (वर्तमान में कागजनगर -आंध्र प्रदेश) से भिमबल्लाल सिंह आत्राम ने नये गोंड राज्य की शुरुआत की| आगे चलके यादव, राष्ट्रकूट, और कई राजाओं को परास्त कर उत्तर के गोंड राज्य तक सीमाएं बढ़ाई और संयुक्त् गोंडवाना राज्य बनाया गया जो 1947 तक सी.पी एंड बरार (C. P & Berar) के नाम से ब्रिटिश इंडिया में जाना जाने लगा था| गोंड राजाओं को मुगल बादशाह से 17 वीं शताब्दी में और सन 1818 में अंग्रेजों और मराठों से टकराना पड़ा| मगर गोंड राजाओं ने अपना अस्तित्व खत्म नहीं होने दिया|

■ मुलनिवासीयों की स्वतंत्रता के बाद परिस्थिति:

मध्य भारत की गोंड भाषीय बहुल लोकसंख्या 5 करोड़ मे आने वाले सभी मूलनिवासी समुदायों को जीवन-यापन की सभी मूलभुत जरूरतों के लिए सरकार पर आश्रित रहना पड़ा| करीब करीब 5 करोड़ 80 लाख सन 2010 में इनकी लोकसंख्या की अन्न, वस्त्र, मकान की मामूली व्यवस्था ही थी| जो भी अन्न या वस्त्र जंगल तथा अपनी कमाई से होते और मकान भी मिट्टी या घास के होते हैं| उच्च वर्ग में गोंड राजा लोगो को भी अपने घर, जमीन, जायदाद से महरुम करा दिया गया जो आज भी बुरी हालत में है| उनके महल और धन-दौलत कब्जे में लिए गए | जंगल में रहने वाले गोंड और उनकी 47 शाखाओं के लोग आज भी नग्न् हीं रहते हैं या सिर्फ लंगोट ही लगाते हैं | कुछ खेती करते हैं मगर जंगल में शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है| क्योंकि उन्हें गोंडी भाषा या उनकी माडिया और अन्य भाषाओं का शहरी या बाकी लोगों को ज्ञान न होना|

भारत सरकार ने कभी इनकी भाषाई की समस्या को समझने का प्रयास नहीं किया| इस तरह वे मुख्य प्रवाह से दूर ही रहे | बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग उन्हें जंगली ही समझते है जिन्हें कोई संस्कृति नहीं है | यह मूलनिवासियों का अपमान है| युनाईटेड नेशन्स के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भारत मे धडल्ले से हो रहा है | अशिक्षा के कारण शोषण बढ़ता गया| मेहनत मजदूरी का उचित मेहनताना नहीं मिलता, जिससे कभी आर्थिक उन्नति नहीं हुई| स्त्रियों पर अत्याचार – बलात्कार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है| पैसे लेकर साहूकार से जो किसानी करें उनके बहु बेटियों पर ऐसे सेठ अपना हक समझते है | सरकारी अफसर, पुलिस इसमें आगे है|

जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा| इस शोषण से लड़ने हेतु कुछ ने हथियार उठा लिए| जिसे सरकार ने सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है| मूल निवासियों की भूमि, उनका राज, उनकी इज्जत - आबरू से होने वाली खिलवाड़ को भारत सरकार जानना ही नहीं चाहती है| परिणाम स्वरूप, नक्सलवाद का जन्म हुआ| सरकार के जवानो ने आए दिन और बिना जांच के खूनी खेल खेलना शुरू किया हुआ है| जिसे भारत सरकार 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' के नाम से चला रही है| बेझिझक भारत सरकार के पुलिस और कमांडो, मूलनिवासी लोगो और आदिवासी औरतों पर बलात्कार करके नकली एनकाउंटर करते है| भारत सरकार के विद्वान आंखें बंद कर तालियां बजाने का काम करते हैं| जैसे नीरो बादशाह के जमाने मे गुलामों से जो व्यवहार हुआ था और हिटलर के जमाने में यहूदियों के साथ हुआ| वही 21वीं शताब्दी में मूलनिवासियों के साथ हो रहा है|

पिछले कुछ सालों में शिक्षा तक मूल निवासी पहुंच तो गए, मगर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा| समस्या आज भी जो कि तो है| कुछ बच्चे उच्च शिक्षा में भी ले फिर भी अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि खुद को सभ्य और उच्च कहने वाले बहुसंख्या लोग इन्हें कभी बड़े पदों (Designation / Post) पर जाने ही नही देते|

Central Provinces & Berar of India:

Central Provinces & Berar of India यह है "गोंडवाना स्टेट" जो स्वतंत्र भारत पुर्व था। जिसे अमेरीका, ब्रिटीश और रशिया व्दारा चिन्हांकित किया गया है। जिसमे 21वी सदी के Unrecognized Vidarbha (Maharashtra) , Unrecognized Godavari Division(Andhra Pradesh), Western Orissa, Northern Karnataka, Eastern Madhya Pradesh(MP), recognized Chhattisgarh state आते है। It's called old Gondwana state.

ब्रिटीश शासन पर्व मे यह राज्य खालसा हुवा जैसे बाकी राज्य हुवे थे। पंजाबी, कश्मिरी, बंगाली, मराठी आदी भाषिक प्रांतोके राजा तथा प्रजाने भारत स्वतंत्रता आंदोलन मे शिरकत करके बलिदान के साथ नाम कमाया। उतने ही प्रखरता से "गोंडवाना राज्य" के राजाओंने और प्रजाने भी स्वतंत्र भारत के लिऐ आंदोलन मे शिरकत करके बलिदान दिया। मगर उनके नामोंको प्रसिध्दी नही दी गई और नाही जरूरी सम्मान मिला। यह एक सोची समझी रननिती थी जिसको सरदार वल्लभभाई पटेल और पं.जवाहरलाल नेहरू की सरकार जिम्मेदार थी।

इस "गोंडवाना राज्य" मे गोंड और उसकी 47 उपशाखाऐं रहती थी – Story of Gondwana – British printing press London, written by Bishop Eyre Chatterton, (Bishop of Nagpur India) I.P.C.B जो राज्यकर्ता जनजाती थी परंतू जैसे ही भारत स्वतंत्र हुवा, भाषाई प्रांत रचना मे 'गोंडवाना स्टेट' को तोडकर अन्य राज्यों मे विभाजीत किया । जिस राज्य मे लोहा, खनिज, अभ्रक, जस्त, कोयला, सिमेंट, सागवृक्ष , जंगल, उच्च्दर्जे का चावल, भरीपुरी नदीयाँ, वन्यजीव आदी हो फिर और क्या चाहीये जिसके रॉयलटी से भारत के ट्राईब्स सिर्फ उपाययोजनाओं का लाभ पाना चाहते है। अगर राज्य होता तो मुख्यमंत्री आदिवासी होता। स्वतंत्रता के पैरो मे जंजीर डालने का कार्य राष्ट्रीय काँग्रेस का रहा है।

आज इन गोंड और उसकी 47 उपशाखाओंको 'रजिस्ट्रेशन' करना पडता है। राष्ट्रीय काँग्रेस के बॅरीसटर मोहनदास गाँधी दक्षिण ॲफ्रिका मे इसी रजिस्ट्रेशन से प्रताडीत हुवे थे। क्या अब वह काँग्रेस के सेंन्टनरी सेलिब्रेशन को याद नही आती? क्या इसी प्रकार के अंग्रेजी हुकमतों के कारनामों को 2019 की भारत सरकार नया आयाम देने का काम कर रही है?

भारत के ट्राईब्स को अंधा कानून लगाना यह कहाँ का न्याय है। सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया के प्रभाग में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है| इस समस्याओं को सुझ-बुझ के साथ छुड़ाने के एवज में भारत सरकार बंदूकों की गोली का इस्तेमाल कर रही है| जंगलों में मरेगा भी गोंड और मारेगा भी गोंड, यही पॉलीसी भारत सरकार चला रही है।

■ अपनी पहचान का संघर्ष अपने उफान पर:

21वीं सदी में 2014 से जहां धार्मिक कट्टरतावाद भारत में बढ़ते जा रहा है। उसी तरह 21वीं सदी के मूल निवासी युवक - युवतियों में जोरदार वैचारिक परिवर्तन आ रहा है| अपने मुख्य नायकों का कार्य और उनके बलिदान को समझते हुए जन आंदोलन

घर घर पहुंच रहा है| आज भारत में स्थित हर मूलनिवासी अपने अस्तित्व को नकारा जाता देख इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता| जहां सरकारें उनकी आवाजों को दबाना चाहती है, नए कानून बनाकर उनकी जल-जंगल-जमीन तथा नौकरियां भी छीनने जा रही है | इससे भारत के 5 करोड़ 80 लाख आबादी की मूलनिवासी जनता जान चुकी है कि, किसी तरह एक होकर ही होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है| जो गोंडवाना के नायकों ने उठाई चिंगारी है, वह इस वक्त ज्वाला का रूप ले चुकी है| उचित यही है कि, भारत सरकार मूलनिवासी गोंड लोगों की पहचान को ना दबाएं| सरकार को जल्द से जल्द इन समस्याओं को सुलझा कर देश में समानता, बंधुता एकता लाकर देश का विकास अबाधित रखना चाहिए | कहीं आज युवाओं की आवाजे विद्रोह में ना बदल जाए | क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जिस का हक है वह उससे कोई छीन नहीं सकता|

भारत सरकार को समझना चाहिए कि, इस 21 वी सदी के विज्ञान युग में मूल निवासियों के हक जो भारतीय संविधान में दिए हैं उस पर जल्द से जल्द अमल करे - भाग 3, भाग 6, भाग 8 के संवैधानिक हक तत्काल मूलनिवासियों को देना चाहिए| यूनाइटेड नेशंस से दरखास्त है की, भारत में हो रहे मूल निवासियों पर के अन्याय, अत्याचार, खून खराबा, ऑपरेशन ग्रीन हंटिंग (Operation Green Hunt) रोककर अमन और चैन मूलनिवासियों को मिला कर दे और समान अधिकार (Equal rights) द्वारा सम्मान की जिंदगी जीने दे | जल-जंगल- जमीन पर मूल निवासियों का हक बना रहे| उसी प्र्कार भारत के आदिवासीयोंको मुलनिवासी का दर्जा देने की माँग करते है।

Population of Schedule Tribes in States and Union Territories in India (2011 census):

States & UTs	Total Population	Tribal Population in %
Andaman & Nicobar island	380581	7.50
Andhra Pradesh	84580777	7.00
Arunachal Pradesh	1383727	68.79
Assam	31205576	12.45
Bihar	104099452	1.28
Chandigarh	1055450	0.00
Chattisgarh	25545198	30.62
Dadra & Nagar Haveli	343709	51.95
Daman & Diu	243247	6.32
Delhi	16787941	0.00
Goa	1458545	10.23
Gujarat	60439692	14.75
Haryana	25351462	0.00
Himachal Pradesh	6864602	5.71
Jammu & Kashmir	12541302	11.91
Jharkhand	32988134	26.21
Karnataka	61095297	6.95
Kerala	33406061	1.45

Lakshadweep	64473	94.80
Madhya Pradesh	72626809	21.09
Maharashtra	112374333	9.35
Manipur	2855794	40.88
Meghalaya	2966889	86.15
Mizoram	1097206	94.43
Nagaland	1978502	86.48
Odisha	41974218	22.85
Puducherry	1247953	0.00
Punjab	27743338	0.00
Rajasthan	68548437	13.48
Sikkim	610577	33.80
Tamil Nadu	72147030	1.10
Tripura	3673917	31.76
Uttar Pradesh	199812341	0.57
Uttrakhand	10086296	2.89
West Bengal	91276115	5.80
INDIA	1210854977	8.63

Source: Office of the Registrar General, India

■ मुलनिवासीयों की अपनी पहचान के मुख्य नायक और संघर्ष :

1) लाल शामशाह :

पानाबरस, चांदा के जमिनदार लाल शामशाह इनका जन्म 01/05/1919 को हुवा जिन्होने आदिवासीयों के अधिकार और जमिन के लिए "गोंडवाना राज्य" की माँग का आंदोलन बुलंद किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय छत्तीसगढ़ और स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1953 में विश्वनाथ तामसकर ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में रखा था| 30 सितंबर 1955 में लाल शाम शाह मडावी (जो तत्कालीन विधायक थे) ने गोंडवाना राज्य का प्रस्ताव राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा मगर तत्कालीन काँग्रेस केंद्रीय सरकार ने उन प्रस्ताव को तवज्जौ नही दी।

स्वतंत्र गोंडवाना राज्य के बारे मे फिरसे लाल शाम शाह ने मेंमोरंडम सरकार को दिया 1956 नोव्हेंबर मे राज्यपुर्णगठन आयोग फजल अली ने बिलकुल इसपर ध्यान नही दिया। छत्तिसगढ, स्वतंत्र गोंडवाना राज्य और संयुक्त् महाराष्ट्रा राज्य ऐसे तिन राज्य बनाने के प्रस्ताव नेहरूजी के मंत्री मंडल के कार्यकाल मे रखे गये। लाल शाम शाह इन्होने अथक प्रयत्न किये की, स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाया जा सके परंतू उस समय के भारत सरकार के केंद्रीय राज्यपुर्नगठन आयोग ने इस पर ध्यान नही दिया।

2) कंगला मांझी :

बस्तर के आदिवासी विभाग के ग्राम तिलावत मे हीरा सिंह मांझी का जन्म हुआ| किशोरावस्था में हीरा सिंह माँझी ने आदिवासी किसान सैनिक की संस्था स्थापित की| उन्होंने संगठन में अनुशासन लाने के लिए पुलिसिया ड्रेस कोड लागू किया उन्होंने संगठन का ध्वज (flag) लाल रंग का बनवाया|

इस संगठन का मूलभूत उद्देश्य किसानों पर होने वाले अत्याचार को समाप्त करना था| इ.स 1956 दुर्ग जिला कलेक्टर ने इस संगठन को भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगा भेंट स्वरूप दिया। तब से हीरा सिंह कांगे जी ने इस तिरंगे झंडे को अपनाया| धीरे-धीरे यहां संगठन "कंगला मांझी" के नाम से प्रसिद्ध होने लगा| इ.स 1984 मे किसान सैनिक संगठन के मुखिया हिरा सिंह कांगे जी का बघमार ग्राम

मे निधन हो गया। हीरासिंह कांगे जी ने जो आदिवासी किसान आंदोलन चलाया उस समय उसी विभाग में विस्तृत तौर पर लाल श्याम शाह मडावी जमींदार लोकनेता के रूप में आंदोलन चला रहे थे| इन दो महान विभूतियों के आंदोलन में ऊपरी रूप से संबंध दिखाई दे रहा होगा फिर भी आंदोलन की दिशाएं विभिन्न थी | दोनों महापुरुष आदिवासियों के ऊपर होने वाले अन्याय-अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे| भारत सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते थे| सैनिक होकर भी शस्त्र से नहीं, कानून से संघर्ष करके अपनी मांगे मिलाने की कोशिश वह करते रहे|

■ भारतिय आदिवासीयों की न्यायिक समस्याऐं :

1) आतंकवादी एवं नक्सलवादी के नाम से अत्याचार :

भारतीय जनमानस के ऊपर यह अंकित किया जा रहा है कि, नक्षलग्रस्त जिलों के विकास में नक्सलियों के साथ आदिवासी भी रोड़ा बन रहे हैं| नक्सली समस्या की जड़ उन नक्सल जिलों के विधायक, खासदार तथा शासकीय अधिकारी ही प्रमुखता से है| से केंद्र शासन से नक्सली निर्मूलन के लिए 1980 से 2006 के बजट मैं करोड़ों रुपए का प्रावधान है| परंतु नतीजा यह रहा कि नक्सल निर्मूलन हुआ तो नहीं मात्र नक्सल निर्मूलन दिखावा ही रह गया है| नक्सलियों में डर, भूख और तकलीफ तथा मौत के खौफ से आदिवासी अनपढ़, चतुर्थ श्रेणी में काम करते हैं| जहां उन्हें मजबूरन रहना पड़ता है वे सिर्फ भाड़े के टट्टू (Pupets) है ना की असली नक्सली| महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश सरकारी अति संवेदनशील जिलों में भेजी जाने वाली राज्य तथा केंद्रीय अनुदान ओं को जो नक्सली निर्मूलन के नाम से आते हैं उसे आनन-फानन में उड़ा देती है| आदिवासियों को मार दिया जाता है या अनपढ़ आदिवासियों की कोरे कागजों पर हस्ताक्षर या अंगूठा लेकर तथा उन्हें नक्सली ड्रेस और बंदूक देकर फोटो निकाले जाते हैं और टाडा के तहत जेल में सडाया जाता है|

2) भाषिक समस्याऐं :

मानव अधिकार आयोग तथा शेड्यूल ट्राइब आयोग नई दिल्ली द्वारा रिपोर्ट में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान चलाने को कहा गया है| परंतु प्रदेशों के मंत्री , विधायक, अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है| भारतीय संविधान की धारा 8 में अभी तक इनकी मात्र भाषा को मान्यता नहीं दी गई है| भारत को स्वतंत्र होकर 71 साल हो गए हैं| सिंधी भाषा को जो प्रगत जनता की है, जो व्यापारियों की भाषा है, जो आदिवासी जनसंख्या की तुलना में कमजोर और कम है उसे भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है | परंतु इस देश के मूल निवासियों की गोंडी भाषा को भारत सरकार ने आज तक मान्यता नहीं दी है| क्यों भारत सरकार यह नहीं करना चाहती? क्योंकि वे अभी भी आदिवासियों को गुलाम रखना चाहती है| जो आदिवासी अपने भाषा में पढ़ाई नहीं कर सकते वे गुलाम नहीं तो क्या है! क्योंकि स्वतंत्र भारत में आदिवासियों के अस्तित्व को नकारा गया है|

3) धर्म संस्कृती रक्षा की समस्या :

गोंड और उसकी 47 शाखाऐं उनकी जातिय और रायपंचायतों की रक्षा होना अनिवार्य है । प्रगत धर्मोंका प्रभाव तथा उनका दबाव अनपढ आदिवासीयों को उनके संस्कृतीसे गुमराह करता है । जिनसे आदिवासीयों को मानसिक तौर पर प्रताडित किया जाता है । भारतिय संविधान सुची क्र.३ के हिसाब से स्वतंत्र रूप से अपने संस्कृती और धर्म का पालन करने का अधिकार है। उन्हे इस स्वायत्ता से दूर करना अपराध है। सुप्रिम कोर्ट के जस्टिस एस.पी. सेन ने 1971 के अपने न्यायदान मे गोंड के संस्कृती की रक्षा के लिऐ ऑर्डर पारीत करते है । सभी प्रगत धर्मोंने गोंड और उनकी उपशाखाओं (Known as a Tribes in India) के धर्म-संस्कृती का सम्मान करना चाहिऐ। उनके कस्टमरी लॉ को विधी –न्याय मंत्रालय व्दारा मान्यता मिलनी चाहीऐ।

4) शासकीय सेवाएं:

अ) शासकीय सेवा प्रशिक्षण में अंधेरे का साम्राज्य है : वर्ग 1, वर्ग 2 उच्च सेवाओं में आदिवासियों प्रशिक्षणार्थी को करोड़ों रुपयों का प्रावधान है जो केंद्र शासन तथा राज्य शासनोंके अधीन है| आदिवासी आयुक्त, उपायुक्त, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास महामंडल, आदिवासी वित्त सहायक महामंडल यह ग्रैजुएट आदिवासियों को वर्ग 1, वर्ग 2 के उच्च शिक्षा प्रावधान की जानकारी तथा वित्त उपलब्धता भी नहीं करती है और नही देती है| वे आदिवासियों को वर्ग 1 वर्ग 2 में आने ही नहीं देती क्योंकि आदिवासी विकास केंद्र तथा राज्य मंत्रियों की कोई इच्छा नहीं है की आदिवासी उच्च सरकारी सेवाओं तक पहुँचे| अगर आदिवासी अपने बलबूते पर चले भी जाए तो प्रवेश फीस, डोनेशन फीस, नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए का डोनेशन नहीं दे सकते फिर आदिवासी करे तो क्या करें| अगर आदिवासी उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने समाज को आगे ले जाने में तथा संवैधानिक अधिकारों को पाने में सक्षम हो जाएंगे| इससे वर्ग 1 और वर्ग 2 पर बैठे हैं उच्च वर्णों को पीछे हटना पड़ेगा इसीलिए राज्य तथा केंद्र ओके वर्ग 1 और वर्ग 2 पर बैठे सभी जन यही चाहते हैं कि आदिवासियों को पीछे रखा जाए और उनका शोषण किया जाए|

ब) नक्षलग्रस्त एक बहाना है| अगर सरकारें चाहें तो एक माह में इसे समाप्त कर सकती है, मगर वो खुद इसे करना नहीं चाहती| भारतीय फौज हो या पुलिस विभाग, भारतीय फौजियों में बटालियन का प्रावधान है परंतु आदिवासियों के लिए अभी तक 'गोंडवाना बटालियन' नहीं बनाई गई| गोरखा, चार्ली, मराठा, महार, राजपूत आदि नामों से बटालियन है| महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संरक्षण मंत्री इन्हें भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है|

गोंडवाना यह हिमालय पर्वत श्रंखला पैदा होने के पहले से ही स्थापित है| जिसे गोंडवाना ट्रैक के नाम से जाना जाता है| लॉरेशिया और गोंडवाना दो भूभाग थे जो पुरातत्व द्वारा प्रमाणित है| गोंडवाना यह जातिवाचक गोंड समाज का नाम नहीं है|

क) पुलिस विभाग: भारतीय पुलिस विभाग में भी, भर्ती के नाम पर भयंकर प्लान बना है| जिसे एक्शन प्लान के नाम से जाना जाता है| गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, अदिलाबाद, आसिफाबाद, अमरकंटक, नागद्वार आदि जिलों में नक्सलियों का ज्यादा जोर है ऐसा सरकार कहती है| इसीलिए पुलिस मैं भर्ती होना है तो आदिवासी युवकों को प्राधान्य और नक्सलियों में भी भर्ती होना है तो आदिवासियों को प्राधान्यता दी जाती है| ताकि दोनों जगह मरेंगे भी तो केवल आदिवासी|

आदिवासियों को पुलिस का खौफ और मरने का डर और दूसरी तरफ नक्सलियों द्वारा मारने का खौफ | इन सभी बातों से साफ जाहिर है कि आदिवासियों का शोषण करते रहे ताकि वह भय और डर से भाग जाए और उनके वन भूमि पर तथा जमीनों पर व्यापारियों का हक चले| क्योंकि वन भूमि पर करोड़ों का साग वृक्ष है| तथा भूमि में खनिज संपदा है| आप क्या चाहेंगे! जल्द से जल्द आदिवासियों को हटाओ नहीं तो मारो | खुद देश की केंद्र और राज्य सरकारें चाहती है इसीलिए नक्सली निर्मूलन नहीं हो रहा है|

इसीलिए भारत सरकार नेहरू के जमाने से भाषाई प्रांत रचना के समय स्वतंत्र गोंडवाना नहीं दे पाई और ना ही आगे देने की कोई योजना है| यह एक्शन प्लान स्लो पाइजन की तरह आदिवासियों को मानसिक कमजोरी में घेर रहा है| न्यायाधीश सेवाओं में अभी तक कोई आदिवासी जा नहीं पहुंचा| अगर वह जाता है तो, कई ऐसे टाडा अभियुक्त आदिवासियों के बारे में उसके दिल में दया, करुना जागेगी और वहां उन्हें मुक्त कराना चाहेगा यह डर सरकार को सताता है| सिर्फ पैकेज देना, पंचवार्षिक योजना बनाना, आदिवासी तीसरे और चौथे वर्ग में ही कैसा रहेगा सरकार यही सोचती रहती है| इसलिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी नहीं चाहती कि आदिवासियों को मूलभूत संविधान के अधिकार दिए जाए|

■ मुलनिवासीयों की समस्याओं का समाधान कैसे हो?

1) भारतीय राज्यघटना की सूची 3, सूची 6, सूची 8 लागू करना:

भारतीय संविधान में तीसरी सूची में धर्म स्वतंत्र दिया है| आदिवासी जब अपना धर्म लिखना चाहता है तो जनगणना के अधिकारी (Census officer) उसे लिखने नहीं देते| जिस देश में पराये धर्म को लिखना, उसका प्रचार करना, दिक्षा देना और धर्मांतर करने की छूट दी गई है| उदाहरण में क्रिश्चियन, इस्लाम, आर्यों का वैदिक, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्मों को न्यायिक हक है परंतु ट्राइब्स को क्रिमिनल के नजरों से देखा जा रहा है| और भारतीय संविधान में उनके धर्म का कोई नामोनिशान नहीं रखा है | ट्राइब्स में गोंड और उसके 47 गन शाखाएं है, जिसके बारे में दि. 17/04/1996 को सुप्रिम कोर्ट जस्टिस के. रामास्वामी (Bench - Bihar state, India) तथा जस्टिस एम.एस. ए सिध्दीकी (Delhi high court) द्वारा फैसला दिया गया है कि, Gonds are not Hindu. परंतु अभी तक भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,

उनके कैबिनेट मंत्री, शेड्यूल ट्राइब कमिशन, मुख्यमंत्री तथा प्रतिनिधि आदि से बंद करके बैठे हैं| ऐसा क्यों? क्या कारण है वे नहीं चाहते कि, आदिवासियों को भारतीय सविधान के मूलभूत अधिकार प्राप्त हो| इसी प्रकार उनके सामाजिक रीति-रिवाज कानूनों को मान्यता ना मिले| यह सरासर भारत सरकार तथा राज्यों के राज्यपाल आदिवासी के साथ धोखा धड़ी कर रहे हैं| इस पर दिनांक 10-01 2006 महाराष्ट्र के वरोरा में और दिनांक 30-01-2006 केसलापुर- आंध्र प्रदेश में एक अखिल भारतीय स्तर पर समिति का गठन किया गया है| छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक इन गोंडवाना के राज्यों में यह समिति कार्य करेगी| "जिओ और जीने दो यह नारा" इसमें दिया गया|

भारतीय घटना सूची 5 में कलम क्रमांक 244 (1) अनुरूप शेड्यूल एरिया क्षेत्र तथा उस की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य प्रशासन Administration देखता है| और जहां नॉन शेड्यूल्ड एरिया (non scheduled area) है, और वहां शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं उनके ऊपर प्रशासन करने की जिम्मेदारी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल (Tribes advisory council) राज्यपाल के अधिकार से कार्य करती है|

भारतीय संविधान सूची क्रमांक 5 भाग [क] पैराग्राफ- भाग 6 परिच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा घोषित शेड्यूल्ड एरिया, इनके राज्य सीमाओं को जोड़ना उसमें बदलाव करना इसका अधिकार भारत सरकार के राष्ट्रपति को दिया गया है| इसी सूची क्रमांक 5 में, प्रशासक तथा एडवाइजरी काउंसिल शेड्यूल ट्राइब्स पर राज्य करती है| वे जो चाहेगी वैसा होगा, आदिवासियों (tribes) के कहने पर नहीं होगा|

2) भारतीय संविधान की छठवीं सूची (6th Schedule) लागू करना :

भारतीय संविधान घटना कलम क्रमांक 244 (2)और 275(1) के अनुसार मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, असम स्वयंपालन प्रशासन में आते हैं| वे राज्य अपने ट्राइब्स के जातिगत व्यवस्था में या धर्म स्थित कानूनों में या सामाजिक व्यवस्था को खुद देखते और चलाते हैं| यह अधिकार इस 6 वी सूची में आदिवासियों को दिया गया है|

अ) स्वायत्त प्रांत:

इस भारतीय संविधान सूची क्रमांक 6 के अनुरूप राज्यों में भिन्न-भिन्न जनजाति अगर हो या इस प्रकार अन्य भागों को एकत्रित कर एक स्वायत्त प्रांत बना सकते हैं | इसी प्रांत के जिला परिषद के लिए 30 मेंबर से ज्यादा नहीं हो, ऐसी ट्राइब्स की ही समिति बनाई जाती है| इसमें राज्यपाल के चार सदस्यों कि नियुक्ती (nominated) की जाती हैं| इस समिति का कार्यकाल 5 साल का होता है|

ब) स्वायत्ता का अधिकार:

भारतीय संविधान सूची क्र. 6 उसका परिच्छेद अनुरूप, स्वायत्त प्रदेश को अपने कानून बनाने का हक है|

1) आरक्षित शासकीय जंगल छोड़कर नया वन परिक्षेत्र बनाकर उसका संरक्षण करना|
2) खेत के लिए कैनल्स द्वारा किसी भी जल प्रवाह का उपयोग कर सकते हैं|

3) खेतीयों का स्थान परिवर्तन करना और उसका विनिमय करना|

4) ग्राम, मंडल तथा तहसील समिति बनाना या परिषदों की स्थापना करना|

5) नाइक, मुखिया की नियुक्ति तथा उनके उत्तराधिकारी बनाना|

6) संरक्षण संस्था स्थापित करना |

7) वंशानुगत संपत्ति दावा, विवाह, तलाक जो सामाजिक परंपरा है, कानून बनाकर राज्यपाल से मंजूर करना|

क) स्वायत्तता प्रदेश न्याय प्रशासन:

1) भारतीय संविधान सुची 6 के परिच्छेद 4 के अनुसार, सामाजिक कानून बनाने के बाद प्रांतीय, ग्राम तथा मंडल स्तर पर न्यायदान देने का अधिकार परिषदों को रहेगा वे अनुसूचित जनजातियों (शेड्यूल ट्राइब्स) के सभी मामलों को सुलझा सकते हैं| ऐसे न्याय व्यवस्था पर न्यायाधीशों को वे नियुक्त कर सकते हैं|

2) भारतीय संविधान सुची 6 परिच्छेद 5(1) के उपबंध, जिन्हें यह लागू होता है या अन्य मामलों और अपील न्यायालय अधिकार को उपयोग में लाएंगे| हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़कर अन्य कोई भी न्यायालय ऐसे अपील और मामलों में अधिकारी नहीं होंगे|

3) भारतीय संविधान सुची 6, सुची 5 के कुछ मामले क्राईम – अपराध, कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर 1908 और कोड ॲक्ट क्रिमिनल प्रोसिजर 1818 के अनुरूप स्वायत्ता प्रांत, मंडले नियुक्त किये जा सकते है। उनपर राज्यपाल व्दारा न्यायाधिषोंकी नियुक्ती की जा सकती है।

4) *इतिहास व संस्कृती का रक्षण :*

भारत देश मे चाहे नागा हो या मनीपुरी, गोंड हो या अंदमान-निकोबार या जावा सुमात्रा या अफ्रिका, रेड इंडियन हो या बोडो तथा आसामी, थाई इन सभी आदिवासीयों मे कम-ज्यादा समानता पाई जाती है।

इतिहास संस्कृती मे आदिवासी कभी भी इंटरकास्ट मॅरेज नही करता। इस मे आदिवासीयों का नुकसान है। यहाँ सरकार एक तरफ इंटरकास्ट मॅरेज के लिऐ प्रोत्साहीत करती है तो दुसरी तरफ आदिवासी संस्कृती का हवाला देकर कास्ट सर्टीफिकीट देने मे आनाकानी करती है। इसीलिऐ आदिवासीयों ने स्वंय तथा सरकार व्दारा भी अपनी संस्कृती का जतन करना चाहिए।

आदिवासीयों के महापुरूषों की जानकारी सरकारी प्राथमिक स्कुली, कॉलेज, स्नातकोत्तर के पाठयक्रम मे नही दी जाती। उनके राजाओं के इतिहास और विरता को नकारा जाता है। कई जगहों पर उनके नकारात्मक छवी बनाकर दर्शाया जाता है। स्वतंत्र भारत मे आदिवासीयों के इतिहास, संस्कृती और धर्म को भी नही छोडा गया । भारतीय जनगणना मे जबरदस्तीसे आदिवासीयों को धमका, डराकर कई दुसरे धर्म का नाम लिखाया जा रहा है। ताकी भारत देश मे इनकी जनगणना के समय आदिवासीयों की संख्या कम आकी जाए । यहां तक भारत के राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, उनका कॅबिनेट तथा राज्योंके राज्यपाल, मुख्यमंत्री,

मानवाधिकार आयोग तक सुप्रिम कोर्ट की अवहेलना करते हुवे दिखाई देते है।

कहाँ है भारतीय संविधान? और कहाँ है आदिवासी? आदिवासीयों को केवल 5वी या 6वी सुची मे डालने से, या उन्हे मतदान का अधिकार देने से विकास होना असंभव है। इस देश के ट्राईब्स को सभी संवैधानिक अधिकार मिले जो ख्रिच्यन, हिंदु, मुसलमान या अन्य धर्मा को मिलते है। आदीवासीयों के गौरवशाली इतिहास, उनकी संस्कृती, धार्मिक परंपराये और ऐतिहासीक धरोहरों को भारतीय संवैधानिक दर्जा देकर मान्यता और सही सम्मान प्राप्त हो। आदिवासीयों को जनगनना मे अपना धर्म लिखने का अधिकार प्राप्त हो तभी उनकी वास्तविक पहचान इस देश मे उन्हे मिल सकती है। सरकारी प्राथमिक से उच्च स्नातककोत्तर पाठयक्रम मे उनके इतिहास को और बलिदान को यथायोग्य स्थान प्राप्त हो जो सही मायनों मे भारत देश मे ट्राईब्स को मुलनिवासी (Aborginals) होने का हक्क दिला सकें।

■ निष्कर्ष (Conclusion) :

संविधान सूची क्र. 6 में स्वायत्त अधिकार हमें क्या-क्या मिल सकते हैं इसकी जानकारी निम्नलिखित पंक्तियों में दी है| 1993 में मूलनिवासियों का वर्ष पूरे जागतिक स्तर पर मनाया गया| इस बारे में युनो परिषद ने जाहिरनामा तैयार किया है, सभी मुद्दों पर हम प्रकाश नहीं डालेंगे परंतु महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने रखते हैं|1. मूलनिवासी ट्राइब्स इन के अस्तित्व की रक्षा, मानवीय मूल्यों का जतन करना और समान व्यवहार करना|

2. मूलनिवासियों को अंतरराष्ट्रीय कायदे के अनुरूप यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार प्राप्त हो|

3. मूल निवासियों को खुद का निर्णय लेने का अधिकार तथा राजकीय - सांस्कृतिक - आर्थिक विकास करने का अधिकार हो|

4. हर प्रकार से भारत देश के नागरिकों को राष्ट्रीयत्व का अधिकार दिया गया है ।

5. समूह या व्यक्ति इन्हें राष्ट्र की ओर से सुरक्षा और शांति तथा वंश रक्षा प्रदान हो|

6. नैसर्गिक संपदा, जमीन, प्रदेश या जनसमूह एक से दूसरे जगह ले जाने का अधिकार। कानुन व्दारा जबरन गैर समाज जिवन पध्दती लगाने से संरक्षण हो ।

7. मुलनिवासीयों को अपनी धनसंपत्ती, संस्कृती तथा नैसर्गिक संसाधनों की रक्षा करने का अधिकार मिले।

8. भारत देश की सीमाओं के पार अपने रिश्तेदारों से राजकिय, आर्थिक व सामाजिक संबंध रखने का अधिकार हो|

भारतिय संविधान व्दारा भारत के आदिवासीयों (Tribes) को जबतक संवैधानिक तौरपर मुलनिवासी (Aborginals) का तर्जा नही दिया जाता तबतक भारत के आदिवासीयों को अपनी वास्ताविक पहचान प्राप्त नही हो सकती । निम्नलिखित भारतिय संविधान की सूची क्र. 3, 6 और सूची क्र. 8 के मुलभूत अधिकार दिये जाना विशेष तौर पर जरूरी है।

■■■■